

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] No. 409] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त ७, २०१४/श्रावण १६, १९३६

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2014/SHRAVANA 16, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 569(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ), तारीख 19 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना के क्रम सं. (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"(5) श्री पी. शेष कुमार,

महानिदेशक (वाणिज्यक),

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय,

कमरा सं. 115, प्रथम तल,

सीएजी भवन,

9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली - 110124

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं 1/15/2010-पीआई]

सदस्य"

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 38(अ) तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं 684(अ), तारीख 16 सितंबर, 2011, सा.का.नि. सं 441(अ), तारीख 12 जून, 2012, सा.का.नि. सं 486(अ), तारीख 21 जून, 2012, सा.का.नि. सं 810(अ), तारीख 5 नवंबर, 2012, सा.का.नि. सं 131(अ), तारीख 1 मार्च, 2014 द्वारा किए गए ।

3125 GI/2014 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2014

- **G.S.R. 569(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949(38 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011, namely:—
- 2. In the said notification, for serial number (5) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—
 - "(5) Shri P. Sesh Kumar,
 Director General (C),
 Office of Comptroller & Auditor General of India,
 Room No. 115, First floor, CAG Building,
 9, Deen Dayal Upadhyaya Marg,
 New Delhi-110124

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/15/2010-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

—Member".

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011, G.S.R. 441(E), dated the 12th June, 2012, number G.S.R. 486(E), dated the 21st June, 2012, G.S.R. 810(E), dated the 5th November, 2012 and G.S.R. 131(E), dated the 1st March, 2014.